	मु .नं. 5/2019 तेजा वगैरह बनाम हरिराम वगैरह
04.11.024	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 17 को जवाब हेतु प्रर्याप्त अवसर देने बावजूद जवाब पेश नही अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा जाखल पटवार हल्का जाखल तहसील सांचौर के खेत क्रमशः 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435 कुल रकबा 5.94 हैक्टयर भूमि संयुक्त खातेदारी आई हुई है। जिसमें हम प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने कई वर्षो पूर्व आपस में मौके पर बंटवाड़ा हिस्सा व बंट के अनुसार कर दिया है तथा उस अनुसार हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि में अलग–अलग ढाणियां बनाकरर मय परिवार निवासरत है। अप्रार्थीगण हमेंशा प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते में बाधा व अवरोध पैदा करते रहते है, तथा माठ आदि तौड़ते रहते है। जिस कारण आये दिन विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण को बंटवाड़ा सहमति से करने हेतु निवेदन किया मगर टालमटोल करने लगे। तथा बाद में प्रार्थीगण को धमकियां देते है कि हम तुम्हारे बंट व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर देंगे। तथा आपके आवागमन का रास्ता बन्द कर देगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका आंकलन रूपयो पैसों में किया जाना कतई संभव नही होगा। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमावे। हमनें वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदार प्रकट होती है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ[illegible]योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] दफ्तर हो एवं नम्बर से कम। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner